



2026:AHC:5771

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42021 / 2025

रज्जाक अंसारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: अभिषेक तिवारी, दीपेश कुमार ओझा
: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण अपराध संख्या 016 सन् 2025, धारा 66-ख, 66-ग, 66-घ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा धारा 3(8), 317(3), 317(4), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम विवेचना के दौरान सामने आया। उन्होंने भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है तथा कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह भी कहा गया कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और आवेदक से किसी प्रकार की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक उक्त धनराशि के लेन-देन का लाभार्थी नहीं है तथा विवेचना अधिकारी उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य एकत्र नहीं कर सका। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-1 (शिकायतकर्ता) शत्रुतापूर्ण हो गया है। आवेदक 08.04.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया कि आवेदक के विरुद्ध केवल एक आपराधिक मामला है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। साथ ही यह भी प्रस्तुत किया गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत का जोरदार विरोध किया, किंतु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित करने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक **रज्जाक अंसारी** को उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(श्री अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 9 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।